

The Uttar Pradesh Police and Forensic Science University Act, 2020

Act 4 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम-संख्या–38



रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 मार्च, 2020

फाल्गुन १६, १९४१ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 422/79-वि-1–20-1(क)-7-2020 लखनऊ, 6 मार्च, 2020

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइस विश्वविद्यालय नामक एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित एव निगमित करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये

अधिनियम

भारत गुणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(एक) ''विद्या परिषद'' का तात्पर्य धारा 24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(दो) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के संचालक बोर्ड से है;

(तीन) "कुलाधिपति" का तात्पर्य धारा 9 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(चार) "संकायाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से है;

(पाँच) "निदेशक, अनुसंधान एवम् विकास" का तात्पर्य धारा 28 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवम् विकास से है;

(छः) "महा-परिषद" का तात्पर्य धारा 16 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का महापरिषद से है।

(सात)"निदेशक" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संस्थानों या केन्द्रों के निदेशकों से है;

(आठ) "कुलपति" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;

(नौ) "वित्त समिति" का तात्पर्य धुरा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है;

. (दस) "विहित" का तात्पर्य विनियमावली द्वारा विहित से है;

(ग्यारह) "कुल सचिव" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है;

(बारह) वित्त अधिकारी का तात्पर्य धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविंद्यालय के वित्त अधिकारी से है;

(तेरह) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित एवम् निगमित उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविदयालय से है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय की स्थापना

3-(1) "उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय" नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी;

(2) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद, निदेशकगण, अनुसंधान एवं विकास का निदेशक, संकायाध्यक्ष, कुल सचिव, वित्त अधिकारी और अन्य समस्त व्यक्तियों, जो एतद्पश्चात पद या सदस्यता धारण किये जाने तक ऐसे अधिकारी तथा सदस्य होंगे, से उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय नामक एक निकाय गठित किया जायेगा।

(3) उक्त विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा।
4–विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

विश्वविद्यालय का मुख्यालय

5-विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(एक) फोरेंसिक साइंस तथा आचार विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न प्रौद्योगिकियों और पुलिस व्यवस्था एवं फोरेंसिक साइंस तथा आचार विज्ञान के विकसित प्रौद्योगिकियों में विशेष रूप से अभिकल्पित शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिनमें फोरेंसिक साइंस सम्बन्धी तथा अन्य अनुप्रयोगों हेतु दोनों सैद्धान्तिक निवेश तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण सम्मिलित हैं, का उपबन्ध करते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी का ज्ञान विकसित करना, अनुसंधान में तथा अपराधिक मामलों को सम्भालने में अपेक्षित विकसित प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता उत्पन्न करना;

(दो) पुलिस व्यवस्था एवं फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में अभिनव शैक्षिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करने हेत् उत्कृष्ट केंद्रों तथा संस्थाओं का निर्माण करना;

(तीन) पुलिस व्यवस्थां एवम् फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल तथा योग्यताओं को विकसित करने हेतु क्षमता सृजित करना;

(चार) पुलिस व्यवस्था एवम् फोरेंसिक साइंस, प्रौद्योगिकी, अपराध-विज्ञान एवम् अनुप्रयुक्त आचार विज्ञान से सम्बन्धित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु वैश्विक मानकों की अवसंरचना के उन्नयन हेतु क्षमता सृजित करना;

(पाँच) विभिन्न प्रकार की फोरेंसिक साइंस सम्बन्धी प्रौद्योगिकियों यथा डीएनए फिन्गरप्रिंट, मस्तिष्क फ़िन्गर प्रिंटिंग, दस्तावेज एवम् फ़ोटोग्राफ़ी, प्राक्षेपिकी, साइबर अपराध, स्वापक विश्लेषण पुलिस व्यवस्था,परीक्षण इत्यादि से सम्बंधित शैक्षिक उपलब्धि के विभिन्न स्तरों पर अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धति विकसित करना;

(छ:) सिविल एवं दण्ड विधियों से सम्बन्धित फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान के क्षेत्रों में एक अग्रणी ज्ञान एवं विकास संसाधन केन्द्र के रूप में कृत्य करना;

(सात) समस्त दाण्डिक न्याय प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साझेदारी निर्मित करना।

(आठ) पुलिस व्यवस्था एवं फोरेंसिक साइंस में अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को सुसंगत बनाने हेतु विभिन्न फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों एवं विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करना;

(नौ) इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे अन्य उद्देश्य, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुति किये जाने पर गजट में अधिसूचना दवारा विनिर्दिष्ट करे।

6-(1) किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी पद से अथवा उसके किसी प्राधिकरण, निकाय अथवा समिति की सदस्यता से अथवा किसी उपाधि, डिप्लोमा अथवा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियों अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश से मात्र लिंग, वंश, पंथ, जाति,वर्ग, जन्मस्थान, धार्मिक आस्था अथवा राजनीतिक अथवा अन्य मत के आधार पर बहिष्कृत नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग, पंथ अथवा मत पर ध्यान दिये बिना सभी के लिए होगा

3

विश्वविद्यालय के उददेश्य (2) अध्यापक अथवा छात्र के रूप में प्रवेश किये जाने अथवा विश्वविद्यालय में कोई पदवी अथवा पद धारण करने या किसी उपाधि डिप्लोमा अथवा अन्य विशिष्ट विद्या सम्बन्धी उपाधि हेतु अर्हता प्राप्त करने अथवा विश्वविद्यालय के किसी विशेषाधिकार अथवा उसकी किसी उपकृति का उपभोग करने पर प्रयोग करने के लिए हकदार बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति पर लिंग, वंश, पंथ, जाति, वर्ग, जन्मस्थान, धार्मिक आस्था, राजनीतिक व्यवसाय अथवा अन्य मत से सम्बंधित कोई परीक्षण अधिरोपित करे।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और उसके 7–इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेगा; अर्थात:-

कृत्य

(एक) विश्वविद्यालय का प्रशासन एवम् प्रबन्धन करना और अनुसंधान, शिक्षा तथा अनुदेशों हेतु ऐसे संस्थानों तथा केन्द्रों को स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हों;

(दो) सिविल एवं दण्ड विधियों, सहबद्ध क्षेत्रों, अपराध निवारण तथा पीड़ित पुनर्वासन के सम्बन्ध में पुलिस व्यवस्था तथा फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं प्रबंधन से सम्बन्धित ज्ञान तथा विद्या की ऐसी शाखाओं में अनुदेश, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का उपबन्ध करना;

(तीन) ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपराध अनुसंधान, निवारण तथा जांच करने और दाण्डिक न्याय प्रणाली के हेतुक को पूरा करने के सम्बन्ध में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में नई पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकियों में अभिनव प्रयोग करना;

(चार) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विहित करता और शिक्षण प्रणालियों तथा परिदान पद्धतियों, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक तथा दूरस्थ शिक्षण सम्मिलित हैं, में लचीलापन का उपबन्ध करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा यथा अवधारित शर्तों के अध्यधीन परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा प्रदान करना अथवा प्रमाण-पत्र और विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां या अभिधान प्रदान करना और ऐसी किन्हीं उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां या अभिधानों को वापस लेना या रदद करना;

(छ:) यथा विहित रीति से मानद उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास हेतु विशिष्ट केन्द्र, विशिष्टीकृत अध्ययन केन्द्र तथा अन्य इकाईयां स्थापित करना;

(आठ) अनुसंधान एवं अन्य कार्य का मुद्रण, प्रत्युत्पादन तथा प्रकाशन का उपबन्ध करना और प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां सम्मेलन आदि आयोजित करना;

(नौ) अपराधों की जाँच करने, पता लगाने तथा रोकथाम करने और पीड़ितों को अपराधों से पुनर्वासित करने के सम्बन्ध में पुलिस व्यवस्था, फोरेंसिक साइस, आचार विज्ञान, प्रौधोगिकी तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के समस्त पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व ग्रहण करना; (दस) समान अथवा समरूप उद्देश्यों वाले किसी शैक्षिक संस्था का सहयोग करना अथवा उससे सम्बद्ध होना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान पूर्णत: या आंशिक रूप से उद्देश्य वाली विश्व के किसी भाग की शैक्षिक या अन्य संस्थाओं के साथ सामान्यत: ऐसी रीति से जो उनके सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल हो, अध्यापकों, छात्रों तथा विद्वानों के माध्यम से जुड़ाव विकसित करना तथा उसे अनुरक्षित रखना;

(बारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपराधों की जाँच करने तथा पता लगाने और दाण्डिक न्याय प्रणाली के हेतुक को अग्रसर करने के क्षेत्र में अध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा विशेषज्ञों के साथ सम्बन्ध विकसित एवं अनुरक्षित करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के व्ययों को विनियमित करना, वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध करना और उसके लेखाओं को अन्रक्षित करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे उद्देश्यों, जिसके लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो, के अनुरूप अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, दान एवं उपहार प्राप्त करना और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा कोई अनुदान प्राप्त करने हेतु अन्य प्राधिकरणों या निकायों के साथ कोई करार करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों एवम् उद्देश्यों हेतु उपहारों, दानों, उपकृतियों अथवा वसीयतों के रूप में उद्योगों या किसी अन्य स्रोतों से और चल तथा अचल सम्पतियों के अन्तरण के माध्यम से निधियां प्राप्त करना;

(सोलह) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास हेतु हालों तथा छात्रावासों और प्राध्यापक वर्ग अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतु आवासों के साथ अतिथिगृह स्थापित करना, अन्रक्षित करना तथा प्रबन्ध करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण रखना और उनके अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु व्यवस्थायें करना;

(अठारह) मांग नियत करना और फीस तथा यथा विहित अन्य प्रभारों को प्राप्त करना तथा उनकी वसूली करना;

(उन्नीस) अध्येतावृतियां, छात्रवृत्तियां, पारितोषक, पदक तथा अन्य पुरस्कार संस्थित करना तथा उन्हें प्रदान करना;

(बीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु आवश्यक या सुविधाजनक किसी भूमि अथवा भवन अथवा संकर्म का ऐसे निर्बन्धन और शर्तों जैसा कि वह उचित तथा उपयुक्त समझे, पर क्रय करना अथवा पट्टे पर लेना और ऐसे भवनों अथवा संकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना तथा उन्हें अनुरक्षित रखना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय की समस्त चल या अचल सम्पतियो अथवा उसके किसी आंशिक भाग का ऐसे निबन्धनों पर, जैसा कि वह उचित समझे, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के हितों, क्रिया कलापों तथा उद्देश्यों के अनुरूप विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा नि्स्तारण करना; 5

(बाइस) सरकारी वचन-पत्रों अथवा अन्य वचन-पत्रों, विनिमय देयकों, चेकों अथवा अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित करना तथा स्वीकार करना, बनाना तथा पृष्ठांकित करना एवं उन पर छूट देना तथा परक्रामण करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय की समस्त अथवा किसी परिसम्पति पर सूत्रपातित तथा अधारित बन्ध-पत्रों, बन्धकों, वचन-पत्रों अथवा अन्य दायित्वों अथवा प्रतिभूतियों पर या किन्ही प्रतिभूतियों के बिना तथा ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे धन अर्जित करना और विश्वविद्यालय की निधियों में से धनार्जन करने से अनुषांगिक समस्त व्ययों को संदाय करना, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात उधार ली गयी किसी धनराशि का पुनर्संदाय या मोचन करना;

(चौबीस) विश्वविद्यालय की निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान करना और विश्वविद्यालय के हित में समय समय पर ऐसी रीति में जैसा कि वह उचित समझे, किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सरकारी प्रतिभूतियों सहित चल या अचल सम्पति के संदर्भमें अन्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेंसों, करारों से सम्बन्धित हस्तांतरणपत्र या अन्य हस्तांतरणपत्र निष्पादित करना या राज्य सरकार से पूर्व अनुजा प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ उनका अर्जन करना;

(छब्बीस) विहित रीति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना;

(सत्ताईस) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(अटठाईस) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनिक उपायों का उपबन्ध करना जैसा कि विहित किया जाय;

(उन्नतीस) आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद, विन्यासित आचार्य पद, अवैतनिक आचार्य पद, अनुबन्ध आचार्य पद, मानद आचार्य तथा कोई अन्य अध्यापन शैक्षणिक या अनुसंधान सम्बन्धी पद संस्थित करना और उनकी अर्हताएँ विहित करना;

(तीस) व्यक्तियों को निदेशकों, अनुसंधान एवम् विकास के निदेशक, संकायाध्यक्षों, आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, मानद आचार्यों, कुल सचिव, वित्त अधिकारी अथवा अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के रूप में नियुक्त करना;

(इकतीस) इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकरण, आदेश द्वारा, अपनी शक्तियों (विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़ कर), अपने नियन्त्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को इस शर्त के अध्यधीन प्रतिनिधानित कर सकता है कि इस प्रकार प्रतिनिधानित की गयी शक्ति का प्रयोग करने का अन्तिम उत्तरदायित्व उन्हें प्रतिनिधानित करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निरन्तर बना रहेगा;

2020 Fo

(बत्तीस) ऐसे अन्य कार्य और बाते करना जैसा कि विश्वविद्यालय अपने समस्त या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उनको विस्तार करने के लिए आवश्यक, अनुकूल या आनुषांगिक समझे। **1**

अध्याय-तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा प्राधिकरण

8-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय के अधिकारी

(एक) कुलाधिपति,

(दो) कुलपति,

(तीन) संकायाध्यक्ष,

(चार) कुल सचिव,

(पांच) वित्त अधिकारी।

9-(1)उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

ंकुलाधिपति

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे/होंगी और यदि उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के समय अध्यक्षता करेंगे/करेंगी।

(3)कोई मानद उपाधि प्रदत्त किये जाने हेतु प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होगी जैसा कि विहित किया जाय।

10–(1) विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा महापरिषद ^{कुलपति} की ही संस्तुति पर की जायेगी।

(2) कुलपति नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति-

(एक) पुलिस और कानून एवं व्यवस्था प्रशासन से जुड़े ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो कि फोरेंसिक साइंस या आन्तरिक सुरक्षा में वांछनीय विशेषज्ञता रखता हो अथवा जो पुलिस महानिदेशक अथवा उसके समकक्ष स्तर का अधिकारी हो तथा कुल 30 वर्ष की सेवा की हो।

(दो) उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित होगा और राज्य में विकास, शिक्षा, परोपकार औद्योगिक अथवा व्यापार सम्बन्धी विकास अथवा राज्य सेवाओं, निगमों अथवा स्थानीय निकायों में अनुकरणीय प्रशासन के निबंधन स्वरूप कार्य कर चुका हो;

(तीन) नाम निर्देशन अथवा पुनर्नामनिर्देशन के दिनांक को पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण न किया हो।

(3) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(4) कुलपति की अन्य निबंधन और शर्तें,वही होंगी जैसा कि राज्य सरकार दवारा अवधारित किया जाय;

(5) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र, कुलाधिपति की स्वीकृति के दिनाक से प्रभावी होगा।

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य 11–(1) कुलपति के पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जैसा कि वह निदेश दे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, उपकरणों तथा प्रणालियों एवम् प्रक्रियाओं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था अथवा केन्द्र और परीक्षाओं, अध्यापन, अनुसंधान तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अथवा कृत अन्य कार्य का निरीक्षण अथवा समीक्षा करवाने, तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन, शैक्षणिक मामलों तथा वित्त व्यवस्था से सम्बंधित किसी मामले की समान रूप से जाँच करवाने की शक्ति होगी।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति-

(एक) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा। वह बोर्ड, विद्या परिषद तथा वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के विनिश्चयों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा;

(तीन) विश्वविद्यालय में अनुदेश प्रदान करने तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा; तथा

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जो इस अधिनियम अथवा विनियमावली द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित किया जाय अथवा जैसा कि उसे बोर्ड द्वारा या महापरिषद द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय।

(3) जहाँ कोई मामला आत्ययिक प्रकृति का हो जिसमें तत्काल कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तथा उसे व्यवहत करने हेतु इस अधिनियम के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा तत्काल व्यवहत न किया जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और वह अपने द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय को देगा जो सामान्य प्रक्रम में उक्त मामले को व्यवहत कर लेता परन्तु यह कि यदि ऐसे प्राधिकरण या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो वह उस मामले को बोर्ड को संदर्भित कर सकता है जो या तो कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे रदद कर सकता है या उसे इस रीति से उपान्तरित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और तदोपरान्त यथास्थिति उक्त कार्यवाही प्रभावहीन हो जाएगी या ऐसे उपान्तरित प्ररूप में प्रभावी होगी जिससे कि ऐसे उपान्तरण या रद्दकरण से कुलपति के आदेशों द्वारा या तद्धीन पूर्व में कृत किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(4) जहाँ उप धारा (3) के अधीन कुलपति की शक्ति के प्रयोग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जानी सम्मिलित हो ऐसी नियुक्त की पुष्टि,इस अधिनियम तथा विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिए सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुलपति के आदेश के दिनांक से छ: माह के अपश्चात् नहीं की जाएगी अन्यथा ऐसी नियुक्ति कुलपति के आदेश के दिनांक से छ: माह की अवधि की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगी।

कुल सचिव

12-(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति महापरिषद द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का निष्पादन करेगा. अर्थात-

(एक) वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुहर, निधियों तथा विश्वविदयालय की ऐसी अन्य सम्पतियों की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा;

(दो) वह बोर्ड तथा विश्वविदयालय के अन्य प्राधिकरणों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना तथा दस्तावेजों को रखेगा, जो कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हो;

(तीन) वह अपने कृत्यों के सम्चित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा;

(चार) वह विश्वविदयालय के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा और वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक समस्त अन्य व्यवस्थाएँ करेगा तथा उनसे सम्बन्धित समस्त प्रक्रियाओं के निष्पादन करने हेत् उत्तरदायी होगा;

(पाँच) वह विश्वविद्यालय की ओर से समस्त दस्तावेजों को अनुप्रमाणित और निष्पादित करेगा;

(छः)वह विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध कृत समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों के अभिवचनों को सत्यापित करेगा तथा उन पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त प्रक्रियायें कुलसचिव के निमित्त जारी की जायेंगी और उसे तामील करायी जायेंगी; और

(सात) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का ंनिष्पादन करेगा, जैसाकि उसे इस अधिनियम एवं विनियमावली द्वारा तद्धीन समनुदेशित किया जाय अथवा जैसा कि उसे बोर्ड या कुलपति द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय।

13--(1) संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के संकायों संकायाध्यक्ष के मध्य से की जायेगी।

(2) संकायाध्यक्ष की शक्तियां एवं उनके कृत्य यथा विहित रूप में होंगे।

14-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों एवं वित्त अधिकारी शर्तों पर की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) वित्त अधिकारी बोर्ड को बजट (वार्षिक प्राकलन) और लेखा विवरण प्रस्तूत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण और वितरण करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को बोर्ड की कार्यवाहियों में बोलने और उनमें अन्यथा आग लेने का अधिकार होगा किन्त् वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय उपगत न किया जाय।

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किसी परिनियमों या अधिनियमों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो।

10

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कदम उठाए जायें।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा उसके विनिधानों का सम्यक रूप से संरक्षण और प्रबन्ध किया जाय।

(6) वित्त अधिकारी की पहुँच, विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और उसकी राय में उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकता है।

(7) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(8) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय के

15-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होगे, अर्थात-

प्राधिकरण

महापरिषद्

(एक) महापरिषद

(दो) संचालक बोर्ड

(तीन) विद्या परिषद

(चार) वित्त समिति तथा

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें विनियमावली द्वारा प्राधिकरण घोषित किया जाय।

16–(1) विश्वविद्यालय की एक महापरिषद होगी, जिसका गठन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(एक) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष (दो) मंत्री, गृह, उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य (तीन) मंत्री, न्याय, उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार (चार) सदस्य (पाँच) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश सदस्य मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार (छः) सदस्य प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (सात) सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, (आठ) सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार

(नौ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार... सदस्य सचिव महापरिषद, å

17-(1). महापरिषद का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिये दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि वह अध्यक्ष (चेयर परसन) द्वारा स्वीकृत अवकाश के बिना महापरिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल हो या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(2). महापरिषद का कोई सदस्य, अध्यक्ष (चेयर परसन) को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष (चेयर परसन) द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किये जाते ही शीघ्र प्रभावी हो जायेगा।

महापरिषद् के सदस्यों की पदावधि

18. महापरिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी :-

(एक). इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कुलपति की नियुक्ति के लिए संस्तुति करना और विश्वविद्यालय के कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करना;

(दो). इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा (5) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग, ऐसी शक्तियों को छोड़कर करना, जहाँ विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गयी हों;

(तीन). विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपाय करना;

(चार). वार्षिक रिपोर्ट, वितीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें;

(पाँच). खण्ड (एक) में निर्दिष्ट शक्तियों को छोड़कर अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उप समिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना, और

(छः). ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिये आवश्यक समझे;

19--(1). महापरिषद की बैठक अध्यक्ष (चेयर परसन) द्वारा बुलायी जायेगी और समस्त कार्यवाहियां महापरिषद के सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी।

स्त कार्यवाहियां महापरिषद के सदस्य सचिव द्वारा की जायेगी। (2). अध्यक्ष (चेयर परसन) तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा सम्यक

रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3). महापरिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी बैठक की गणपूर्ति की जायेगी।

(4). यदि महापरिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही की जानी आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष (चेयर परसन) महापरिषद के सदस्यों को पत्रजात परिचालित करके संव्यवहत किये जाने वाले कार्य की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि महापरिषद के कुल सदस्यों के एक तिृहाई सदस्यों द्वारा सहमति न हो जाय। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में महापरिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और पत्रजातों को महापरिषद की आगामी बैठक के समक्ष रखा जायेगा।

(5). पूर्ववती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्य-कलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और वितीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा महापरिषद के समक्ष उसकी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

20-विश्वविद्यालय के संचालक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात:-

संचालक बोर्ड

महापरिषद् को

ৰঁতক

(एक) कुलपति, जो बोर्ड का अध्यक्ष होंगे/होंगी;

(दो) गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन का विशेष सचिव श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

महापरिषद की शक्तियाँ (तीन) वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन का विशेष सचिव श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(चार) उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का विशेष सचिव श्रेणी से अनिम्न एक ऐसा अधिकारी, जो अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(पाँच) निदेशक अनुसंधान एवं विकास;

छः) विश्वविद्यालय का एक निदेशक, जो चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(सात) अपर पुलिस महानिदेशक की श्रेणी से अनिम्न एक पुलिस अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(आठ) विधि विज्ञान के क्षेत्र से तीन शिक्षाविद अथवा वृत्तिक जो राज्य सरकार दवारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे।

3

ر

(2) कुलसचिव बोर्ड का सचिव होगा।

बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियाँ

21-(1) अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(2) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी विनियमावली द्वारा समन्देशित किया जाए।

22-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड, विश्वविद्यालय के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसे विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, वित्त समिति तथा अन्य समितियों अथवा प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कृत्य होंगे, अर्थात:-

(एक) विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित नीति के प्रश्न पर विनिश्चय करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करना;

(तीन) विनियमावली बनाना;

(चार) प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आय-व्ययक पर विचार करके अनुमोदन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय की धनराशियों तथा निधियों का विनिधान करना तथा वित्त समिति की संस्त्तियों पर विनिश्चय करना;

(छः) अध्ययन सामग्रियों, संधियों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टो तथा अन्य साहित्य को समय-समय पर प्रकाशित करना अथवा प्रकाशित करने हेतु वित्त व्यवस्था करना और विक्रय करना या विक्रय का प्रबंध करना जैसा कि वह उचित समझें;

(सात) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का मृजन करना अथवा उन्हें समाप्त करना;

(आठ) इस अधिनियमं के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तथा अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने हेतु ऐसी समितियों को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे;

बोर्ड को शक्तियाँ तथा कृत्य

(नौ) विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्त करना;

(दस) विश्वविद्यालय के निदेशकों, संकायाध्यक्षों, कुलाध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति प्रतिनिधानित करना; तथा

(ग्यारह) इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के द्वारा तद्धीन प्रदत्त की जाने वाली अथवा अधिरोपित की जाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कृत्यों का निष्पादन करना तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों- को प्राप्त करने हेतु अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

23-(1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 20 की उप-धारा (1) के खण्ड(छ:) तथा खण्ड(आठ) के अधीन बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसका नामनिर्देशन किए जाने के दिनांक से तीन वर्ष होगी;

(2) कोई सदस्य अगली पदावधि हेतु पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।

(3) धारा 20 की उप धारा (1) के खण्ड (आठ) के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा अपना पदत्याग कर सकता है और उसका त्यागपत्र बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने के दिनांक से प्रभावी होगा;

24-(1) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

विद्या परिषद्

बोर्ड के

सदस्यों की

पदावधि तथा

उनकी रिक्तियां

(एक) कुलपति, जो विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा;

दो शिक्षाविद अथवा वृत्तिक, जो बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट किए (दो) जाएंगे:

(तीन) विधि विज्ञान के क्षेत्र से दो शिक्षाविद अथवा वृत्तिक, जो बोर्ड दवारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे;

(चार) निदेशक, अनुसंधान एवं विकास;

(पाँच) विश्वविद्यालय के निदेशक;

विश्वविद्यालय के प्रत्येक शाखा से एक आचार्य, जो चक्रान्क्रम (छ:) में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) कुलसचिव विद्या परिषद् का सचिव होगा;

(3) उप धारा (1) के खंड (दो) (तीन) और (छ:) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी:-

25-इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के उपबन्धों के विद्या परिषद् अध्यधीन विद्या परिषद की शक्तियां एवं कृत्य निम्नलिखित होंगे-

की शक्तियां और कृत्य

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण का प्रयोग करना तथा वह विश्वविद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और मूल्यांकन के मानकों के अनुरक्षण तथा सुधार हेतु उत्तरदायी होगा;

(ख) अपने स्वयं के पहल पर या विश्वविद्यालय के संकाय अथवा बोर्ड के निर्देश पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों में विचार करना तथा उस पर सम्चित कार्यवाही करना;

(ग) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक कार्य प्रणाली, जिसमें छात्रों का अनुशासन सम्मिलित है, के सम्बन्ध में बोर्ड को ऐसी विनियमावली के लिए संस्तृति करना जो इस अधिनियम के अनुरूप हो और;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना जैसा कि विनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किया जाए अथवा उस पर अधिरोपित किया जाए।

वित्त समिति

26-(1) वित समिति में निम्नलिखित होंगे-

(एक) कुलपति- समिति का अध्यक्ष;

(दो) निदेशक, अनुसंधान और विकास- सदस्य

(तीन) विश्वविद्यालय के निदेशकगण- सदस्य

(चार) वित्त अधिकारी- सदस्य सचिव

. (पाँच) बोर्ड के दो सदस्य (जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा)

(छः) एक आचार्य, जो बोर्ड द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(2) वित्त अधिकारी, समिति का सचिव होगा।

(3) खण्ड(छ:) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावंधि तीन वर्ष होगी।

27-इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, वित्त समिति की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं तथा वार्षिक आय-व्ययक प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उस पर बोर्ड को सलाह देना;

(दो) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करना;

(तीन) विश्वविद्यालय की समस्त वित्तीय नीति संबंधी मामलों में बोर्ड से संस्त्ति करना;

(चार) निधियां बनाये जाने, प्राप्तियों और व्ययों सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड से संस्त्ति करना;

(पॉच) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शन का उपबध करना;

(छः) ऐसे व्यय जिसके लिए आय व्ययक में कोई उपबंध न किया गया हो या जिसके लिए आय व्ययक में उपबन्धित धनराशि से अधिक व्यय उपगत किया जाना आवश्यक हो, सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड से संस्तुति करना;

(सात)वेतनमान पुनरीक्षण, वेतनमान उच्चीकरण और उन मदों जो आय व्ययक में उसे बोर्ड के समक्ष रखे जाने के पूर्व सम्मिलित न किये गये हों,से संबंधित समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करना; और

(आठ)ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि विनियमावली द्वारा प्रदत्त किया जाये अथवा उस पर अधिरोपित किया जाय;

निदेशक, 28—निदेशक, अनुसंधान एवं विकास की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियां एवं अनुसंधान और कृत्य यथा विहित•रूप में होंगे।

विकास

वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य 29–निदेशकों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां एवं कृत्य यथा विहित रूप में निदेशक

होंगे।

अध्याय-चार

वित्त

30-राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार शक्तियों का प्रयोग करने तथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विश्वविद्यालय को द्वारा समय-समय पर ऐसी धनराशि का, ऐसी रीति से जैसा कि वह आवश्यक समझे जाय, संदाय करेगी।

विश्वविद्यालय को संदाय किया जाना विश्वविद्यालय

की निधियां

iγ.

31-(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशियां होंगी:-

(एक) राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(दो) फीस तथा प्रभारों से आय सहित समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(तीन)विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों, ऋणों, उपहारों, दानों, उपकृतियों, वसीयतों अथवा अन्तरण, विन्यासों अन्य अनुदानों, यदि कोई हों, के माध्यम से प्राप्त धनराशियां;

(चार) विश्वविद्यालय तथा उद्योग के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार, विश्वविद्यालय के प्रायोजित पदों, अध्येयतावृत्तियां या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना हेतु सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशि; और

(पॉच)विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशियां।

(2) विश्वविदयालय की समस्त निधियां ऐसे बैंको में जमा की जायेंगी अथवा ऐसे रूप में विनिधानित की जायेंगी, जैसा कि बोर्ड वित्त समिति की संस्तृति पर विनिश्चित करे:

(3) विश्वविद्यालय की निधियां, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विश्वविद्यालय की शक्तियों का प्रयोग करके या उसके कृत्यों का निर्वहन करके उपगत किये गये व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के निमित्त प्रयुक्त की जायेगी। 🕳

32-(1) विश्वविद्यालय समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित लेखा और करेगा और आय तथा व्यय सम्बन्धी लेखा एवं तुलन-पत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण यथाविहित प्ररूप में तथा रीति से तैयार करेगा।

(2) विश्वविद्यालय विनियमावली द्वारा यथाविहित रूप में अपने वित्तीय, लेखा सम्बन्धी तथा लेखा परीक्षा सम्बन्धी कृत्यों का निर्वहन करने में समुचित आंतरिक जांच, संतूलने एवं नियन्त्रण प्रणाली अपनायेगा।

(3) विश्वविदयालय के लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्रति वर्ष नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी।

(4) नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय की लेखायें, उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी और बोर्ड विश्वविद्यालय को तत्सम्बन्ध में ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे और विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

(5) विश्वविद्यालय की लेखाओं की लेखा परीक्षा, निदेशक आन्तरिक लेखा और लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक वर्ष की जायेगी और ऐसे आवधिक आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण हेतु रखी जायेगी।

(6) विश्वविद्यालय, प्रत्येक वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष के क्रिया कलापों की एक . वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ऐसे विवरण सम्मिलित होंगे जैसा कि बोर्ड विनिर्दिष्ट करे और वह उसे बोर्ड के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट के रूप में, ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जैसा कि विहित किया जाय पुनरीक्षण एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर सकता है।

(7)⁵ वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति, उस पर बोर्ड के संकल्प के साथ, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

33-(1) विश्वविद्यालय, बोर्ड के अनुमोदन से अपने अधिकारियों, अध्यापकों

पेशन बीमा तथा भविष्य निधि

तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा की ऐसी योजनाएं जैसा कि वह उचित समझे सृजित करेगा और विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए आगणित संगमों, संस्थाओं, निधियों, न्यास तथा प्रवहण की स्थापना और सहयोग में सहायता भी करेगा।

(2) जहाँ ऐसी कोई भविष्य निधि सृजित की गयी हो, वहां भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्या 19 सन 1925) के उपबन्ध, ऐसी निधि के लिए लागू होंगे मानों वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय-पॉच

अनुपूरक उपबन्ध

34—विश्वविद्यालय के बोर्ड या किसी प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन या विनियमावली द्वारा गठित किसी समिति का कोई कार्य या उसकी कोई कार्यवाही, विश्वविद्यालय के ऐसे बोर्ड, प्राधिकरण या समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि मात्र विद्यमान होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

Э

35–विश्वविद्यालय के पास उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करने और प्रमाण-पत्र प्रदान करने और बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित मानद उपाधियां और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां तथा अभिधान प्रदत्त करने की शक्ति होगी।

36-विश्वविद्यालय राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक प्राधिकरणों को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां, विवरण तथा अन्य सूचना, जैसा कि उनके द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय, उपलब्ध करायेगा।

37–विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी,अध्यापक तथा कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता1860(अधिनियम संख्या 45 सन 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत एक लोक सेवक समझा जायेगा।

रिक्तियों द्वारा अधिनियमों तथा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां, डिप्लोमा प्रदान किया जाना तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना

विवरणी और सूचना

अधिकारी तथा कर्मचारी लोक सेवक होगे स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ यदि किसी ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी विनिर्दिष्ट अवधि या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो अथवा जो विश्वविद्यालय निधि से कृत किसी कार्य के लिए अत्तों या फीस के माध्यम से कोई पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, को ऐसी नियुक्ति या कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के दौरान विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

38-(1) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी, अध्यापन एव अध्यापनेत्तर सदस्य तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग को ऐसी जांच जिसमें उसे अपने विरूद्ध आरोपों के सम्बन्ध में सूचित किया गया हो और उसे उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई किये जाने का युक्तियुक्त, अवसर प्रदान किया गया हो, के सिवाय पद्च्युत नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा या पदावनत नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या पदावनत किये जाने के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर कुलपति के समक्ष की जायेगी।

39-राज्य सरकार के पास इस अधिनियम, तद्धीन बनायी गयी विनियमावली तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों का अनुपालन करने हेत् समय-समय पर यथा अपेक्षित रूप में निदेश जारी करने की शक्ति होगी।

40--(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड के पास उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मामलों को प्रशासित करने तथा उनका प्रबन्धन करने का उपबन्ध करने हेतुं विनियमावली बनाने की शक्ति होगी।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित समस्त मामलों या किसी मामले का उपबन्ध हो सकता है, अर्थात्:-

> (एक) बोर्ड की प्रथम बैठक से भिन्न विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठक आहूत करना तथा आयोजित करना और ऐसी बैठक की गणपूर्ति तथा कार्य संचालन करना;

(दो) कुलपति द्वारा प्रयुक्त तथा निस्तारित शक्तियाँ एवं कृत्य;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों तथा अन्य समितियों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य, ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों की अर्हतायें तथा निरर्हताएं, सदस्यों की पदावधि, उसके सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें हटाया जाना और तत्सम्बन्धी अन्य मामले ;

(चार) कार्य के संचालन, शक्तियों के प्रयोग तथा कृत्यों के निर्वहन में अधिनियम द्वारा या तद्धीन या विनियमावली द्वारा गठित बोर्ड तथा किसी समिति या अन्य निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(पाँच) अध्ययन पाठयक्रम स्थापित किये जाने तथा छात्रों के प्रवेश में अन्सरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा मानदण्ड;

(छः) विश्वविद्यालय में अनुशासन प्रवर्तित करने हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग को पद्च्युत किया जाना, अवनत किया जाना या उनकी सेवा समाप्त किया जाना

राष्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

विनियमावली बनाने की शक्तित (सात)विश्वविदयालय की सम्पत्तियों का प्रबंधन;

(आठ) उपाधियां डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां तथा अभिधान, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान किये जायें और ऐसी किन्हीं उपाधियों प्रमाण-पत्रों तथा विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियों एवं अभिधानों तथा तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं को वापस किया जाना और रदद किया जाना;

(नौ) परीक्षकों की पदावधि तथा नियुक्ति सहित परीक्षा संचालन करना;

(दस) विश्वविद्यालय के निदेशकों, आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों के पदों या समकक्ष शैक्षणिक पदनाम या पदों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन और उनकी अपेक्षित अर्हताओं सहित ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियक्ति;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय को, उसके द्वारा उपबन्धित किये गये पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण, सुविधाओं तथा सेवाओं हेतु संदत्त की जाने वाली फ़ीस तथा प्रभार;

(बारह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की प्रसुविधाओं हेतु बीमा पेंशन तथा भविष्य निधियां तथा ऐसी अन्य योजनाएं सुजित किये जाने की रीति तथा शर्ते;

(तेरह)अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के संगम की निबन्धन एवं शर्ते:

(चौदह) आय-व्ययक प्राक्कलन तैयार किया जाना तथा लेखा अनुरक्षित किया जाना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसकी ओर से संविदा या करार निष्पादन की रीति;

्र(सोलह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की नियुक्ति का वर्गीकरण तथा उसकी प्रक्रिया;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवं विकास, निदेशक, अन्य अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्ते तथा नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन तथा भत्ते, संविदात्मक सेवायें, अनुशासन नियमावली तथा अन्य सेवा शर्ते;

(अठारह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाली निबन्धन तथा शर्ते;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के निदेशक, अनुसंधान एवं विकास, निदेशकगण तथा अन्य अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य;

(बीस) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों एवं पुरस्कारों को शासित करने वाली निबन्धन एवं शर्ते;

(इक्कीस) बोर्ड के आदेशों एवं विनिश्चयों का अधिप्रमाणन,

(बाइस) छात्रावासों, निवासकक्षों तथा संकायों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु आवास तथा अतिथिगृह से सम्बन्धित मामले, जिनमें अनुशासनिक नियन्त्रण सम्मिलित हैं; और

(तेईस) ऐसे समस्त मामले, जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने हैं या विहित किये जा सकते हैं।

41-धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुल सचिव की प्रथम कुल नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात यथा शक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसी शर्तों, जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे, पर की जायेगी। अस्थायी

42--इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, इस अधिनियम और तत्धीन बनायी गयी विनियमावली के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, विश्वविदयालय के समस्त कृत्यों या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उक्त प्रयोजनार्थ इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी विनियमावली दवारा या तदधीन विश्वविदयालय के किसी प्राधिकरण दवारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति या निष्पादित किये जाने वाले किसी कर्तव्य का तब तक प्रयोग या निष्पादन कर सकता है जब तक इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में न आ जाय।

43-इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी विनियमावली के उपबन्धों क्षतिपूर्ति के अन्सरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेत् तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में विश्वविदयालय, विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशकों, प्राधिकारियों या अधिकारियों या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन, अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी और उनसे किसी नुकसान का दावा नहीं किया जायेगा।

44-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है, जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइस विश्वविद्यालय नामक एक राज्य पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। उक्त विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य फोरेंसिक साइंस, आचार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबन्धन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना करना, आपराधिक मामलों की जांच, प्रबन्धन एवं संचालन में आवश्यक प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता उत्पन्न करना, प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना एव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को एकीकृत करना है। वर्तमान में स्थापित फोरेंसिक साइस प्रयोगशालाओं में उपलब्ध जनशक्ति के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अधिक प्रदर्शों के प्राप्त होने के कारण राज्य में लम्बित मामलों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं में समन्वय के साथ-साथ फोरेंसिक साइंस में डिग्री प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारतीय राज्यों एवं नेपाल, भूटान, मालद्वीव, श्रीलंका आदि पड़ोसी देशों के छात्र भी फोरेंसिक साइंस के विभिन्न विषयों में ज्ञानार्जन प्राप्त कर सकेंगे।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, जे०पी० सिंह-II, प्रमुख सचिव।

कठिनाईयां दूर करने की शक्तित

उपबन्ध

सचिव की नियुक्ति

No. 422(2)/LXXIX-V-1-20-1(Ka)-7-2020

Dated Lucknow, March 6, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Police Aur Forensic Science Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 5, 2020. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH POLICE AND FORENSIC SCIENCE UNIVERSITY

ACT, 2020

(U.P. Act no. 4 of 2020)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

An

Аст

to provide for the establishment and incorporation of a State University to be known as the Uttar Pradesh Police and Forensic Science University in the State of Uttar Pradesh and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as follows:-

7

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Police and Forensic Science University Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) "Academic Council" means the Academic Council of the University constituted under section 24;

(ii) "Board" means the Board of Governors of the University constituted under section 20;

(iii) "Chancellor" means the Chancellor of the University referred to in section 9;

(iv) "Dean" means the Deans of the University appointed under section 13;

(v) "Director of Research and Development" means the Director of Research and Development of the University appointed under the provisions section 28;

(vi) "Directors" means the Directors of the Institutes or the centres of the University appointed under section 29;

(vii) "General Council" means the General Council of the University Constituted under Section 16.

(viii) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University appointed under section 10;

(ix) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University constituted under section 26;

(x) "prescribed" means prescribed by regulations;

(xi) "Registrar" means the Registrar of the University appointed under section 12;

Short title, extent and commencement

Definitions

(xii) "Finance Officer" means the Finance Officer of the University appointed under section 14:

(xiii) "University" means the Uttar Pradesh Police and Forensic Science University established and incorporated under section 3.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY

3. (1) There shall be established a University by the name of the Uttar Pradesh Police and Forensic Science University,

(2) The Vice-Chancellor, the Board, the Academic Council, the Directors, Director of Research and Development, the Deans, the Registrar, Finance Officer and all other persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership, will be constituted a body by the name of the Uttar Pradesh Police and Forensic Science University.

(3) The University shall be a body corporate.

4. The headquarters of the University shall be at Lucknow, in Uttar Pradesh.

5. The objectives of the University shall be;

(i) to develop the knowledge of science, technology, providing specially designed academic training programmes in various technologies related with forensic science and behavioural science and also advanced technologies of policing and forensic science and behavioural science, which includes both theoretical input and practical training for forensic and other applications; to generate expertise in advanced technologies required in investigation and handling of crime cases;

(ii) to create centres and institutions of excellence for imparting innovative education training and research in the fields of policing and forensic science, behavioural science, technology and management;

(iii) to create capabilities for development of knowledge, skills and competencies at various levels in the field of policing and forensic science;

(iv) to create capabilities for upgrading the infrastructure of global standards for education, training and research in the areas related to policing and forensic science, technology, criminology and applied behavioral science;

(v) to develop patterns of teaching and training at various levels of educational accomplishment so as to set high standards of education in science, technology and management in relation to forensic technologies of various specialties like DNA fingerprint, brain fingerprinting, document and photography, ballistics, cyber-crime, narco analysis policing test, etc.

(vi) to function as a leading resource centre for knowledge and development in the areas of forensic science, behavioural science related to civil and criminal laws;

(vii) to forge partnership with other academic institutions with the objective of improving the entire criminal justice system;

(viii) to establish close linkages with various forensic science laboratories or institutes and law enforcement authorities to make teaching, training and research relevant in policing and forensic science;

(ix) such other objects, not inconsistent with the provisions of this Act which the State Government may, on recommendation of the University, by notification in the *Gazette*, specify in this behalf.

Establishment and incorporation of University

Headquarters of University

Objectives of University

University open to all irrespective of sex. religion, class. creed or opinion

Powers and functions of University 6. (1) No person shall be excluded from any office of the University or from membership of any of its authorities, bodies or committees, or from admission to any degree, diploma or other academic distinction or course of study on the sole ground of sex, race, creed, caste, class, place of birth, religious belief or political or other opinion.

(2) It shall not be lawful for the University to impose on any person any test whatsoever relating to sex, race, creed, caste, class, place of birth, religious belief or profession of political or other opinion in order to entitle him to be admitted as a teacher or a student or to hold any office or post in the University or to qualify for any degree, diploma or other academic distinction or to enjoy or exercise any privilege of the University or any benefaction thereof.

7. Subject to the other provisions of this Act, the University shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

(i) to administer and manage the University and to establish such institutes and centres for research, education and instructions as are necessary for the furtherance of the objects of the University;

(ii) to provide for instructions, training and research in such branches of knowledge or learning pertaining to policing and forensic science, behavioural science, technology and management in relation to civil and criminal laws, allied areas, prevention of crimes and rehabilitation of the victims;

(iii) to conduct innovative experiments in new methods and technologies in the field of science, technology and management in relation to the domains of investigation, prevention and detection of crimes and furthering the cause of criminal justice systems in order to achieve international standards of such education, training and research;

(iv) to prescribe courses and curricula and provide for flexibility in the education systems and delivery methodologies including electronic and distance learning;

(v) to hold examinations and confer degrees, diplomas or grant certificates and other academic distinctions or titles on persons subject to such conditions as the University may determine, and to withdraw or cancel any such degrees, diplomas, certificates, or other academic distinctions or titles in the manner as may be prescribed;

(vi) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner as may be prescribed;

(vii) to establish such special centres, specialized study centres or other units for research and development as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

٦

С

(viii) to provide for printing, reproduction and publication of research and other work and to organize exhibitions, workshops, seminars, conferences, etc.;

(ix) to sponsor and undertake research in all aspects of policing and forensic science, behavioural science, technology and allied areas in relation to investigation, detection and prevention of crimes and rehabilitating the victims of crimes;

(x) to collaborate or associate with any educational institution with like or similar objects;

(xi) to develop and maintain linkages with educational or other institutions in any part of the world having objects wholly or partially similar to those of the University, through exchange of teachers, students and scholars generally in such manner as may be conducive to their common objects;

22

(xii) to develop and maintain relationships with teachers, researchers and experts in the domains of investigation and detection of crimes and furthering the cause of criminal justice system for achieving the objects of the University;

(xiii) to regulate the expenditure, manage the finance and to maintain accounts of the University;

(xiv) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purposes of the University and consistent with the objects for which the University is established and to enter into any agreement with the Central Government, the State Government, the University Grants Commission or other authorities or bodies for receiving any grants;

(xv) to receive funds from the industries or from any other sources as gifts, donations, benefactions or bequests and by transfers of movable and immovable properties for the purposes and objects of the University;

(xvi) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students and accommodation for faculties, officers and employees of the University and the guest houses;.

(xvii) to supervise and control the residence and regulate the discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare and cultural activities;

(xviii) to fix, demand and receive or recover fees and such other charges as may be prescribed;

(xix) to institute and award fellowships, scholarships, prizes, medals and other awards;

(xx) to purchase or to take on lease any land or building or works which may be necessary or convenient for the purpose of the University on such terms and conditions as it may think fit and proper and to construct, alter and maintain any such buildings or works;

(xxi) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may think fit, consistent with the interest, activities and objects of the University after taking prior permission of the State Government;

(xxii) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate Government promissory notes and other promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;

(xxiii) to raise and borrow moneys on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities and upon such terms and conditions as it may think fit and to pay out of the funds of the University, all expenses incidental to the raising of moneys, to repay and redeem any money borrowed after taking prior permission of the State Government;

(xxiv) to invest the funds of the University in or upon such securities and transpose any investment from time to time in such manner as it may deem fit in the interest of University.

(xxv) to execute conveyances regarding transfers, mortgages, leases, licenses, agreements and other conveyance in. respect of the property, movable or immovable including Government securities belonging to the University or to be acquired for the purpose of the University after taking prior permission of the State Government;

(xxvi) to admit the students for the courses offered by the University in the prescribed manner;

(xxvii) to create academic, technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(xxviii) to regulate and enforce discipline among the employees of the University and to provide for such disciplinary measures as may be prescribed;

(xxix) to institute professorships; associate professorships, assistant professorships, readerships, lectureships, endowed professorship, honorary professorships, adjunct professorships, emeritus professors and any other teaching, academic or research posts and to prescribe qualifications for them;

(xxx) to appoint persons as Directors, Director of Research and Development, Deans, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Readers, Lecturers, Adjunct Professors, Registrar, Finance Officer or otherwise as teachers and researchers of the University;

(xxxi) subject to the provisions of this Act and the regulations, any officer or authority of the University may, by order, delegate his or its powers (except the power to make regulations) to any other officer or authority under his or its control and subject to the condition that the ultimate responsibility for the exercise of the power so delegated shall continue to rest in the officer or authority delegating them;

7

'n

(xxxii) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of all or any of the objects of the University.

CHAPTER III

OFFICERS AND AUTHORITIES OF UNIVERSITY

8. The following shall be the officers of the University, namely:-

(i) The Chancellor,

- (ii) The Vice-Chancellör,
- (iii) The Deans,
- (iv) The Registrar,
- (v) Finance Officer.

9. (1)The Governor of the Uttar Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his/her office, be the head of the University, and if present, preside over the convocation of the University.

(3) Every proposal for the conferment of an honorary degree shall require the approval of the Chancellor.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed.

10. (1) The Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor only on the recommendation of the General Council.

(2) The person to be appointed as the Vice-Chancellor shall,-

(i) Must be an officer associated with Police and Law & Order Administration with desirable specialization in Forensic Science or Internal Security or a officer of level of Director General of Police or its equivalent and has served a total of 30 years.;

(ii) be associated with Uttar Pradesh and worked in the State in terms of development, education, philanthropy, industrial or business development or exemplary administration in the State Services, Corporations or public bodies;

(iii) not have attained the age of sixty-five years on the date of nomination or re-nomination.

Officers of the University

The Chancellor

The Vice-Chancellor (3) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years and shall be eligible for re-appointment for a further period of three years.

(4) The other terms and conditions of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government.

(5) The Vice-Chancellor may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chancellor such a resignation shall take effect from the date of acceptance by the Chancellor;

11. (1) The Vice-Chancellor shall have, subject to the provisions of this Act, power to cause an inspection or review to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, hostels, libraries, equipments and systems and processes and of any institution or centre maintained by the University, and also of the examinations, teaching, research and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration, academic affairs and finance of the University.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Vice-Chancellor shall;

> (i) be the chief executive and academic officer of the University. He shall preside over the meetings of the Board, Academic Council and the Finance Committee;

> (ii) ensure implementation of the decisions of the authorities of the University;

(iii) be responsible for imparting of instructions and maintenance of discipline in the University; and

(iv) exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by or under this Act or the regulations or as may be delegated to him by the Board or by the General Council;

- (3) Where any matter is of urgent nature requiring immediate action and the same cannot be immediately dealt with by the authority or body of the University empowered under this Act to deal with it, the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action so taken by him to the authority or body of the University who or which, in the ordinary course, would have dealt with the matter:

Provided that if such authority or other body is of the opinion that such action ought not to have been taken by the Vice-Chancellor, it may refer the matter to the Board which may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner as it thinks fit, and thereupon the action shall cease to have effects or, as the case may be, shall take effect in such modified form so however such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done by or under the order of the Vice-Chancellor.

(4) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under subsection (3) involves the appointment of any person, such appointment shall be confirmed by the competent authority empowered to approve such appointment in accordance with the provisions of this Act and the regulations, not later than six months from the date of order of the Vice-Chancellor, otherwise such appointment shall cease to have effect on the expiration of a period of six months from the date of order of the Vice-Chancellor.

12. (1)The Registrar shall be a whole time officer of the University;

Registrar

(2) The Registrar shall be appointed by the General Council in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed;

Powers and duties of Vice-

Chancellor

(3) The Registrar shall exercise the following powers and perform following duties, namely:-

(i) he shall be responsible for the custody of records, common seal, the funds. of the University and such other property of the University;

(ii) he shall place before the Board and other authorities of the University, all such information and documents as may be necessary for transaction of its business;

(iii) he shall be responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his functions;

(iv) he shall be responsible for the administration of the University and conduct the examinations and make all other arrangements necessary thereof and be responsible for the execution of all processes connected therewith;

(v) he shall attest and execute all documents on behalf of the University;

)

(vi) he shall verify and. sign the pleadings in all suits and other legal proceedings by or against the University and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar; and

(vii) he shall exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by or under this Act, the regulations or as may be delegated to him by the Board or the Vice-Chancellor.

13. (1) The Deans shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the faculties of the University.

(2) The powers and function of the Deans shall be such as may be prescribed

14. (1) The Finance Officer Shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed

(2) The Finance Officer shall be ex-Officio Secretary of the Finance Committee

(3) The Finance Officer Shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and Statement of account to the Board and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University

(4) The Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Board but shall not be entitled to vote

(5) The Finance Officer shall be responsible:-

(a) to ensure that no expenditure not authorized in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way to investments)

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or Acts

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit.

(d) to ensure that the property and investments of the University are duly preserved and managed

(6) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties

(7) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University

(8) Other powers and functions of the Finance Officer shall be such and may be prescribed.

Deans

Finance Officer

26

15. The following shall be the authorities of the University, namely:-(i) the General Council; (ii) the Board of Governors; (iii) the Academic Council; (iv) the Finance Committee; and (v) such other authorities as may be declared by regulations to be the authorities of the University. General Council

16. (1) The University shall have a General Council, constituted of:-Chairperson The Chief Minister of Uttar Pradesh

- (ii) The Minister of Home, Government of Uttar Pradesh. Member
- (iii) The Minister of Law, Government of Uttar Pradesh. Member
- (iv) The Minister of Higher Education, Government Member of Uttar Pradesh.
- Member (v) Advocate General of Uttar Pradesh. Member (vi) The Chief Secretary of Uttar Pradesh. Member
- (vii) The Principal Secretary of Judicial Department, Government of Uttar Pradesh.
- Member (viii) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance Department, Government of Uttar Pradesh.
- The Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Home (ix) Department, Government of Uttar Pradesh

.....the member Secretary of the General Council.

17. (1) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave granted by the Chairperson or acts against the interests of the University

(2) A member of General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairperson and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by the Chairperson.

18. The General Council shall have the powers:-

(i) to make the recommendation for the appointment of Vice-Chancellor and to appoint Registrar and Finance Officer of the University under the provisions of this Act;

(ii) to excercise the powers and fuctions of the University referred to in Section 5 and except where such powers are given to some other authority or officer of the University under the provisions of this Act;

(iii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of the University;

(iv) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates, annual accounts and the audit reports on such accounts;

(v) to delegate all or any of its powers, except the powers referred to in clause (i) to the Vice-Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members; and

(vi) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University.

Terms of Office of members of the General Council

Powers of the General Council

27

University .

Meeting of the General Council **19.** (1) The General Council meeting shall be convened by the Chairperson and all proceedings shall held by member secretary of the General Council.

(2) The Chairperson shall preside over the meeting of the General Council and in his absence any member duly authorized by him/her.

(3) One-third of the total number of members of the General Council shall form a quorum for a meeting.

(4) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairperson may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by one-third of the total members of the General Council. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council.

(5) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet as audited, and the financial estimate shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council at its annual meeting.

20.(1) The Board of Governors of the University shall consist of the following members, namely :—

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson of the Board;

(ii) an officer of the Government of Uttar Pradesh in Home Department, not below the rank of a Special Secretary, to be nominated by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary;

`١

(iii) an officer of the Government of Uttar Pradesh in Finance Department, not below the rank of a Special Secretary, to be nominated by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary;

(iv) an officer of the Government of Uttar Pradesh in Higher Education Department, not below the rank of a Special Secretary, to be nominated by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary;

(v) the Director of Research and Development;

(vi) one Director of the University, by rotation, to be nominated by the Vice-Chancellor;

(vii) one Police Officer, not below the rank of Additional Director General of Police, to be nominated by the State Government;

(viii) Three academicians or professionals in the field of forensic science, to be nominated by the State Government.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Board.

21. (1)The Chairperson shall preside at the meetings of the Board;

(2) The Chairperson shall exercise such other powers and perform such other functions as may be assigned to him by or under this Act or the regulations, made thereunder.

22. (1) Subject to the provisions of this Act, the Board shall be responsible for the general superintendence, direction and the control of affairs of the University and shall exercise all the powers of the University, and shall have the power to review the acts of the Academic Council and the Finance Committee and other committees or authorities of the University.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the Board shall have the following powers and functions, namely :-

(i) to take decisions on question of policy relating to the administration and working of the University;

(ii) to institute courses of study at the University;

Board of Governors

Powers of Chairperson of Board

Powers and functions of Board (iii) to make regulations;

(iv) to consider and approve the annual report and the annual budget of the University for every financial year;

oti ing

(v) to invest moneys and funds of the University and to take decision on the recommendations of the Finance Committee;

(vi) to publish or finance the publication of studies, treaties, books, periodicals, reports and other literature from time to time and to sell or arrange for the sale as it may deem fit;

(vii) to create or abolish posts of teachers and officers and employees of the University;

(viii) to appoint such committees as it considers necessary for the exercise of its powers and performance of its duties under this Act;

(ix) to appoint Directors of the University;

(x) to delegate any of its power to the Directors, Deans, Registrar or any other officer, employee or any authority of the University or to a committee appointed by it; and

(xi) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by or under this Act or the regulations, made thereunder and such other powers for achieving the objects of the University.

23. (1) Save as otherwise provided in this section, the term of a nominated member of the Board under clauses (vi) and (viii) of sub-section (1) of section 20 shall be three years from the date of his nomination.

(2) A member shall be eligible for re-nomination for the next term.

(3) A member nominated under clause (viii) of sub-section (1) of section 20 may resign from his office by writing under his hand addressed to the Chairperson of the Board and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Chairperson of the Board.

24. (1) The Academic Council of the University shall consist of;

(i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson of the Academic Council;

(ii) two academicians or professionals, to be nominated by the Board;

(iii) two academicians or professionals in the field of forensic science, to be nominated by the Board;

(iv) the Director of Research and Development;

(v) the Directors of the University;

(vi) one professor from each discipline of the University, by rotation, to be nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Academic Council.

(3) The term of office of the members nominated under clauses (ii), (iii) and (vi) of sub-section (1) shall be of three years.

25. Subject to the provisions of this Act and the regulations, made thereunder, the powers and the functions of the Academic Council shall be;

(a) to exercise control over the academic policies of the University and be responsible for the maintenance and improvement of standards of instruction, education and evaluation in the University;

(b) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference from the faculty of the University or the Board and to take appropriate action thereon;

Powers and functions of the Academic Council

Term of office and vacancies among members of Board

ol Board

Academic

Council

(c) to recommend to the Board, such regulations as are consistent with this Act regarding the academic functioning of the University including discipline of students; and

(d) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the regulations.

26. (1) The Finance Committee shall consist of;

(i) the Vice-Chancellor,the Chairperson of the Committee:

>

3

Ń

(ii) the Director of Research and Development.....member;

(iii) the Directors of the Universitymember;

(iv) Finance Officer.....member secretary;

(v) two members of the Board (one of which shall be nominated by the State Government nominee);.....members;

(vi) one professor, by rotation, to be nominated by the Board.

The Finance Officer shall be the Secretary of the Committee. (2)

(3)The term of office of the members nominated under clauses (vi) shall be three years.

Powers and functions of the Finance Committee

27. Subject to the other provisions of this Act, the powers and functions of the Finance Committee shall be;

(i) to examine the annual accounts and annual budget estimates of the University and to advise the Board thereon;

(ii) to review from time to time the financial position of the University;

(iii) to make recommendations to the Board on all financial policy matters of the University;

(iv) to make recommendations to the Board on all proposals involving raising of funds, receipts and expenditure;

(v) to provide guidelines for investment of surplus funds;

(vi) to make recommendations to the Board on all proposals involving expenditure for which no provision has been made in the budget or for which expenditure in excess of the amount provided in the budget needs to be incurred;

(vii) to examine all proposals relating to the revision of pay-scales, upgradation of the scales and those items which are not included in the budget prior to placing before the Board; and

(viii) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the regulations.

28. The appointment and powers and functions of the Director of Research and Development shall be such as may be prescribed.

29. The appointment and powers and functions of the Director shall be such as may be prescribed.

CHAPTER IV

FINANCE

Payment by State Government to the University

Director of

Research and

Development

Directors

30. The State Government shall pay to the University from time to time such sums of moneys and in such manner as it may consider necessary for the exercise of powers and discharge of its functions by the University by or under this Act.

Finance

Committee

31. (1) The University shall establish a fund to be called the 'University Fund' Fund' consisting of,-

Funds of University

(i) any contribution or grants or loans by the State Government and the Central Government;

(ii) the income of the University from all sources including income from fees and charges;

(iii) the moneys received by the University by way of grants, loans, gifts, donations, benefactions, bequests or transfer endowments and other grants, if any;

(iv) the moneys received by the University from the collaborating industries in terms of the provisions of the Memorandum of Understanding entered between the University and the industry, for establishment of sponsored chairs, fellowships or infrastructure facilities of the University; and

(v) the moneys received by the University in any other manner or from any other source.

(2) All funds of the University shall be deposited in such banks or invested in such manner as the Board may decide on the recommendation of the Finance Committee.

(3) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the University including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions by or under this Act.

32. (1) The University shall maintain proper accounts and other relevant records. and prepare an Annual Statement of Accounts, including the income and expenditure account and the balance sheet, in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The University shall adopt a proper system of internal checks and balances and control in the discharge of its financial, accounting and auditing functions as may be prescribed by the Regulations.

(3) The accounts of the University shall be audited every year by Controller and Auditor General.

(4) The accounts of the University with the audit reports thereon certified by the Controller and Auditor General shall be placed before the Board and the Board may issue such instructions to the University in respect thereof as it deems fit and the University shall comply with such instructions.

(5) The accounts of the University, shall be audited by the office of the Director, Internal Accounts and Audit, UP in every year and such periodic internal audit reports shall be placed before the Board for review.

(6) The University shall prepare for each year an annual report of its activities of the previous year containing such particulars as the Board may specify and submit the same in the form of Annual Report to the Board on or before such date as may be prescribed, for review and approval.

(7) The copy of the annual report and annual audit report along with the resolution of the Board thereon shall be submitted to the State Government.

33. (1) The University shall, with the approval of the Board, constitute for the benefit of its officers, teachers and other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such schemes of pension, provident fund and insurance as it may deem fit and also aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trust and conveyance calculated to the benefit of the officers, teachers, employees of the University.

Accounts and audit

Pension, insurance and Provident Fund (2) Where any such provident fund has been constituted, the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) shall apply to such fund as if it were a Government Provident Fund.

CHAPTER V

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

34. No act or proceeding of the Board or any authority of the University or any committee constituted under this Act or by regulations shall be invaled on the ground merely of the existence of any vacancy in or defect of, in the constitution of such Board, authority or committee of the University.

35. The University shall have powers to confer degrees, diplomas and grant certificates and confer honorary degrees and other academic distinctions and titles as approved by the Board.

36. The University shall furnish to the State Government, University Grants Commission and other statutory authorities, such reports, returns, statements and other information as may be required by them from time to time.

37. Every officer, teacher and employee appointed by the University shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. (Act no. 45 of 1860)

Explanation.- — For the purpose of this section, if any person, who is appointed by the University for a specified period or a specified work of the University or who received any remuneration by way of allowances or fees for any work done from the University fund, shall be deemed to be an officer or employee of the University while he is performing the duties and functions connected with such appointment or work.

38. (1) No officer or employee or member of the teaching, non-teaching and other academic staff of the University shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry, in which he has been informed of the charges against him and a reasonable opportunity of being heard is given in respect of those charges.

(2) An appeal against an order of dismissal, removal or reduction in rank under sub-section (1) or of termination of service shall be made to the Vice-Chancellor within ninety days from the date of communication of such order.

39. The State Government shall have power to issue directions from time to time as may be required for compliance of the provisions of this Act, the regulations made thereunder and any other law for the time being in force and the University shall be bound to comply with such direction.

3

2

40. (1) Subject to the provisions of this Act, the Board shall have in addition to all other powers vested in it, the power to make regulations to provide for the administration and management of the affairs of the University.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(i) the summoning and holding of meetings of the authorities of the University, other than the first meeting of the Board and the quorum and conduct of business at such meeting;

(ii) the powers and functions to be exercised and discharged by the Vice-Chancellor;

(iii) the constitution, powers and duties of the authorities, bodies and other committees of the University, the qualifications and disqualifications for membership of such authorities, terms of office of the membership, appointment and removal of members thereof and other matters connected therewith;

Acts and proceedings not to be invalidated by vacancies

Conferment of degrees. diplomas and grant of certification by University

Returns and information

Officers and employees to be public servant

Dismissal, removal, reduction or termination of services of staff of University

Power of State Government to give directions

Power to make regulations

(iv) the procedure to be followed by the Board and any committee or other body constituted by or under this Act or by the regulations in the conduct of the business, exercise of the powers and discharge of the functions;

(v) the procedure and criteria to be followed in establishing courses of study and admission of students;

(vi) the procedure to be followed for enforcing discipline in the University;

(vii) the management of the properties of the University;

(viii) the degrees, diplomas, certificates, and other academic distinctions and titles which may be conferred or granted by the University and withdrawal or cancellation of any such degree, diplomas, certificates and other academic distinctions and titles and the requirements thereof;

(ix) the conduct of examinations including the term of office and appointment of examiners;

(x) the creation of posts of Directors, Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Readers, Lectures or equivalent academic designations or posts, officers and employees of the University, and the appointment of persons to such posts including the requisite qualifications thereof;

(xi) the fees and other charges to be paid to the University for the courses, training, facilities and services provided by it;

(xii) the manner and conditions for constitution of insurance, pension and provident funds and such other schemes for the benefits of officers, teachers and employees of the University;

(xiii) the terms and conditions for association of the University with other institutions;

(xiv) the preparation of budget estimates and maintenance of accounts;

(xv) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University;

(xvi) the classification and procedure for appointment of officers, employees and other staff of the University;

(xvii) the terms and conditions and tenure of appointment, salaries and allowances, contractual services, rules of discipline and other conditions of service of the Director of Research and Development, Director, other officers, teachers and employees of the University;

(xviii) the terms and conditions governing deputation of teachers, officers and employees of the University;

(xix) the powers and duties of the Director of Research and Development, Directors and other officers, teachers and employees of the University;

(xx) the terms and conditions governing fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(xxi) the authentication of the orders and the decisions of the Board,

(xxii) the matters relating to hostels and halls of residence and housing for faculties, officers and employees and guest house including disciplinary control therein; and

(xxiii) all matters which by this Act are to be or may be prescribed.

41. Notwithstanding anything contained in section 12, the first Registrar shall be appointed by the State Government as soon as practicable after the commencement of this Act for a period not exceeding three years and on such conditions as the State Government thinks fit.

Appointment of First Registrar 33

Transitory provisions 42. Notwithstanding anything contained in this Act, the Vice-Chancellor may, with the prior approval of the Board and subject to availability of the funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and the regulations made thereunder and for that purpose, may exercise any power or perform any duty which by or under this Act and regulations made thereunder are to be exercised or performed by any authority of the University until such authority comes into existence in accordance with the provisions of this Act and thereunder.

Indemnity

43. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damage shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the Directors, the authorities or officers or employees of the University or any other person in respect of anything which is done in good faith or purporting to have been done in pursuance of this Act or any regulations made thereunder.

44. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in *Gazette* the make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing difficulties:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been decided to establish a State University of Police and Forensic Science to be known as the Uttar Pradesh Police and Forensic Science University at Lucknow in the State of Uttar Pradesh. The main objective of the said University is to establish excellent centers to provide innovative education, training and research in the field of forensic science, ethics, technology and management, to generate expertise in necessary technologies in investigation, management and handling of crime cases, to prepare trained manpower and integrate technology applications. The number of pending cases in the state is increasing steadily due to the availability of more samples for testing in relation to the available manpower in the forensic science laboratories established at present.

With the establishment of the said University, it will become possible to confer degrees in forensic science along with coordination in national and international scientific institutions. Apart from Uttar Pradesh, students of Indian states and neighboring countries of Nepal, Bhutan, Maldives, Sri Lanka etc. will be able to learn in various subjects of forensic science.

The Uttar Pradesh Police and Forensic Science University Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order, J.P. SINGH-II, Pramukh Sachiv. マーロー

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 724 राजपत्र---(हिन्दी)–2020–(1746)–599 प्रतियां–-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 156 सा० विधायी–2020---(1747)--300 प्रतियां–-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

Power to remove difficulties

34